

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे मुरादाबाद ।

मुकदमा सं०-6245 / 2018

राज्य प्रति राजू उर्फ ऐतश्याम ।

03.11.2018

दोषसिद्ध राजू उर्फ ऐतश्याम को धारा- ४/२५ आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि तथा ५०० /- (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर ०२ दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये। ।

(तालेवर सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(रेलवे) मुरादाबाद ।